अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2025 / 2203 **लखनऊः दिनांकः** 11.06.2025

विषयः सत्र 2025–26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0: 260 / संप्रप / परी0अनु0–(प्रवेश क्षमता) / 2025, दिनांकः 29.05.2025 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र की संस्थाओं की वास्तविक स्वीकृत प्रवेश क्षमता दिनांकः 16.06.2025 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा सत्र 2025–26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण की जानी है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांकः 12.06.2025 से अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक दशा में यूराईज पोर्टल पर अपनी संस्था के **su login** के माध्यम से संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2025–26 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (**pdf format**) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना तथा यू–राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क सत्र 2025–26 हेतु दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शीघ्र ही सत्र 2025–26 हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है, यदि संस्था द्वारा सत्र 2025–26 के सम्बद्धता विस्तार हेतु यू–राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन न किये जाने के कारणवश संस्था का नाम काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रदर्शित नही होता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में यूराईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन / ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोटः– यदि शासन के निर्देशानुसार आपको सम्बद्धता विस्तार अगले आदेशों तक के लिए जारी किया जाता है तो सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रत्येक शैक्षिक वर्ष हेतु जमा करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2025 / 2204–09 **तद्दिनांकः** 11.06.2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव